वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं ।

3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

सारणी सं. 4

http ://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग II-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बज़ट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन: चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।
3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डेटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका** में उपलब्ध हैं।